

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला**भिण्ड (म0प्र0)****आपराधिक प्रक0क्र0-199/16****संस्थित दिनांक-25.04.16**

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

रवि पुत्र श्री हरी शर्मा उम्र 26 साल

निवासी ग्राम तेहरा हाल धर्मनगर गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-**{आज दिनांक 07.02.18 को घोषित}**

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1बी)(बी) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 22.01.16 को समय करीब 17:20 बजे थाना गोहद चौराहा अंतर्गत सुमेर कॉलोनी बंबा पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग सार्वजनिक स्थान पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक लोहे का धारदार बका जिसका आकार प्रतिबंधित आकार से अधिक था, अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखा।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 22.01.2016 को थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक सुरेशदत्त मिश्रा कस्बा भ्रमण हेतु गए थे। दौरान भ्रमण उन्हें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति भिण्ड ग्वालियर हाईवे सुमेर कॉलोनी बंबा के पास लोहे का बका लिए कोई गंभीर वारदात करने की नियत से घूम रहा है। सूचना मय मह हमराह फोर्स मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेरकर पकड़ा। उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम पता बताया। तलाश लेने पर लोहे का धारदार बका मिला। उससे बका रखने की अनुज्ञप्ति चाही तो अभियुक्त ने अनुज्ञप्ति न होना बताई। अभियुक्त से बका जब्तकर जब्ती पत्रक बनाया गया, उसे गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। थाने पर वापस आकर अपराध क्रमांक 16/16 पर पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान कथन लिए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.01.16 को समय करीब 17:20 बजे थाना गोहद चौराहा अंतर्गत सुमेर कॉलोनी बंबा पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग सार्वजनिक स्थान पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक लोहे का धारदार बका जिसका आकार प्रतिबंधित आकार से अधिक था, अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखा ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में राघवेन्द्र शुक्ला अ0सा0 1, रामकुमार पाठक अ0सा0 2, सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 3, मूलचंद अ0सा0 4 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. जब्तीकर्ता सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि 22.01.2016 को थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को इलाका भ्रमण हेतु गए थे। दौरान भ्रमण जर्ने मुखबिर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति भिण्ड ग्वालियर रोड पर सुमेर कॉलोनी की बंबा की पुलिया पर लोहे का बका लिए कोई गंभीर वारदात करने की नियत से खड़ा है। उक्त सूचना से उन्हें तथा हमराह फोर्स को अवगत कराया, तत्पश्चात् मय फोर्स मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, उसे भागकर पकड़ा। उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम रवि शर्मा निवासी तेहरा हाल धर्मनगर गोहद चौराहा का होना बताया। उसके कब्जे में रखे बका के संबंध में लायसेंस न होना बताया। तब अभियुक्त से बका जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 बनाए जाने और गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 बनाए जाने का कथन करते हैं। उक्त दस्तावेजों पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। थाने पर वापस आकर अपराध क्रमांक 16/16 पर पंजीबद्ध किए जाने का कथन करते हैं जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 3 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. जब्ती व गिरफ्तारी के अन्य साक्षी आरक्षक राघवेन्द्र शुक्ला अ0सा0 1 एवं आरक्षक मूलचंद अ0सा0 4 हैं। अपने अभिसाक्ष्य में उक्त साक्षीगण सारतः जब्तीकर्ता अधिकारी सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 3 के कथनों की संपुष्टि करते हैं। प्रकरण में उक्त साक्षीगण अपने समक्ष अभियुक्त से जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा एक लोहे का बका जब्त किए जाने का कथन करते हैं। बका के संबंध में जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 बनाए जाने की पुष्टि करते हैं और उस पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव में तर्क प्रस्तुत किया है कि कोई भी स्वतंत्र साक्षी कथित कार्यवाही का साक्षी नहीं हैं, अतः मामला

संदिग्ध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि कथित बका उससे जब्त नहीं हुआ है इस कारण से वह निर्दोष है।

8. प्रकरण में प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक के अनुसार कथित जब्ती की कार्यवाही दि0 22.1.16 को शाम 5:20 बजे सुमेर कॉलोनी का बंबा की पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड के बगल में होना दर्शाया गया है। इस प्रकार से कथित कार्यवाही शाम के समय की दर्शाई है, जबकि राजमार्ग पर काफी आवाजाही रहती है। प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक एवं प्र0पी0 2 के गिरफ्तारी पत्रक की कार्यवाही में लगभग 15 मिनट का अंतर दर्शाया गया है। उक्त समय कोई भी स्वतंत्र साक्षी अभिकथित कार्यवाही का साक्षी क्यों नहीं बनाया गया, इस संबंध में अभियोजन का मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सुरेशदत्त अ0सा0 3 एवं जब्ती साक्षी राघवेन्द्र अ0सा0 1 व मूलचंद अ0सा0 4 पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, जो कि स्वीकार करते हैं कि उनके अतिरिक्त कथित कार्यवाही का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। इस प्रकार से अभियोजन की साक्ष्य सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मस्तिष्क में संदेह का आधार उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त है।

9. प्रकरण में सुरेशदत्त अ0सा0 3 कथन करते हैं कि न्यायालय में प्रस्तुत बका आर्टिकल ए1 वही है जो कि उन्होंने अभियुक्त के पास से जब्त किया था। साक्षी कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि जो बका उन्होंने जब्त किया, उसका कोई भी मानचित्र अर्थात् ड्राफ्ट नहीं बनाया है। प्रकरण में अभिकथित बका के संबंध में स्वीकार करते हैं कि बका उसी प्रकार का है जिससे मजदूर अपने पशुओं को झाड़िया वगैरह काटकर खिलाते हैं और मजदूर अपने खेती किसानी के कार्यों में लेते हैं। प्रकरण में कथित बका के किसी विशिष्ट पहचान के संबंध में जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 में उल्लेख नहीं किया गया है। कथित जब्तशुदा बका की अनन्यता सुनिश्चित किए जाने हेतु यह भी अभिलेख पर नहीं है कि कथित बका थाने के किस माल नंबर पर जमा किया गया था। इस प्रकार से साधारणतः किसान व मजदूरों के उपयोग में आने वाले बका के समान ही अभियुक्त से कथित बका जब्त किए जाने का तथ्य संदेह का आधार उत्पन्न करता है।

10. साक्षी राघवेन्द्र अ0सा0 1 चैकिंग के लिए प्राइवेट वाहन से जाने का कथन करते हैं जिसका नंबर बताने में अस्मर्थ हैं। यही कथन मूलचंद अ0सा0 4 कण्डिका 3 में करते हैं। जहां एक ओर प्रकरण में कोई भी ऐसा साक्षी नहीं है जो कि पुलिस विभाग के अतिरिक्त स्वतंत्र हो, वहीं दूसरी ओर जब्ती साक्षी आरक्षक राघवेन्द्र अ0सा0 1 व आरक्षक मूलचंद अ0सा0 4 प्राइवेट वाहन से इलाका गश्त पर जाने का कथन करते हैं, फिर भी उक्त कार्यवाही में कथित प्राइवेट वाहन के चालक को क्यों साक्षी नहीं बनाया गया, यह तथ्य भी संदेह उत्पन्न करता है।

11. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध

में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.01.16 को समय करीब 17:20 बजे थाना गोहद चौराहा अंतर्गत सुमेर कॉलोनी बंबा पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग सार्वजनिक स्थान पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक लोहे का धारदार बका जिसका आकार प्रतिबंधित आकार से अधिक था, अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखा। अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) बी के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

13. प्रकरण में जब्तशुदा बका मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोडकर नष्ट की जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

14. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दफ़्तर का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश